प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1183-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-1-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र0क्र0 1066/अ-68/11-12.

मुकुट बिहारी नामदेव तनय स्व0 श्री
छोटेलाल नामदेव निवासी पुर्व्याऊ टोरी सागर
तह0 व जिला सागर --- आवेदक

विरूद्ध

म प्र0 शासन द्वारा जेल विभाग सागर - - अनावेदक

19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1183/III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 1066 अ-68 /11-12 में पारित आदेश दिनांक 20-1-14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-1-14 एंव निगरानी मेमो के तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि शासकीय नजूल भूमि शीट नंबर 381/1 में से 20X20 वर्गफुट पर आवेदक ने गुमटी लगाकर बेजा कब्जा कर लिया, जिसके कारण तहसीलदार सागर ने प्रकरण कमांक 55 अ 68/10-11 में आदेश दिनांक 17-6-11 से आवेदक के विरूद्व बेदखली के आदेश देकर 1500/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया। 4/ तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष अपील कमांक 148 अ 68/10-11 प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 28-6-12 से अपील निरस्त की गई एंव अपर आयुक्त ने भी अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसीलदार के आदेशों को विधिवत् पाते हुये द्वित्तीय अपील में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया एंव अपील निरस्त कर दी।	

5/ उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार सागर के आदेश दिनांक 17–6–11, अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेश दिनांक 28–6–12 एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–1–14 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य